झारखण्ड सरकार

आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय; झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, राँची।

पत्रांक–01 / छात्रवृति (ई–कल्याण)–10 / 2013–1840

प्रेषक,

आदिवासी कल्याण आयुक्त,
झारखंड, राँची।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
झारखण्ड, रांची।

राँची, दिनांक : 13/8/15

विषय : विज्ञापन प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति वर्ष 2015–16 से सम्बन्धित विज्ञापन सामग्री सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के वेबसाईट पर अपलोड की जा रही है।

अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन को झारखण्ड राज्य के सभी दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में एवं राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में बड़े अक्षरों में लगातार दो दिनों तक प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

Sd/- 13-8-15

आदिवासी कल्याण आयुक्त।

ज्ञापांक : 1840 रांची, दिनांक : 13/8/15

प्रतिलिपि : सभी उपायुक्त एवं सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को विज्ञापन की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि विज्ञापन का प्रकाशन सूचना पट पर करते हुए विज्ञापन के अनुरूप कार्य निष्पादन कराने की कृपा की जाय।

अनु0– यथोक्त।

Sd/- 13-8-15

आदिवासी कल्याण आयुक्त।

1840 रांची, दिनांक : 13/8/15

प्रतिलिपि : Director general, Centre for good governance, Road No. 25, Jubilee Hills, Hyderabad 500033 Telangana को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि विज्ञापन का प्रकाशन पोर्टल पर कराते हुए वर्ष 2015–16 में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति हेतु विज्ञापन के अनुरूप कार्य निष्पादन कराने की कृपा की जाय।

अनु0– यथोक्त।

Sd/- 13-8-15

आदिवासी कल्याण आयुक्त।

ज्ञापांक : 1840 रांची, दिनांक : 13/8/15

प्रतिलिपि : सरकार के सचिव, सूचना प्रोधोगिकी विभाग, झारखण्ड, रांची / सरकार के सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड, रांची को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

Sd/- 13-8-15

आदिवासी कल्याण आयुक्त।

झारखण्ड सरकार

आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, राँची।

सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त संस्थानों में सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त प्रवेशिकोत्तर पाठयक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृति योजना वर्ष 2015–16 हेतु आवेदन से सम्बन्धित आवश्यक सूचना

प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर छात्रवृति की राशि उपलब्ध करायी जायगी।

पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृति के लिए सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

1. छात्रवृति के नियम एवं शर्तें :–

अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र/छात्राएँ जिनके माता–पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक नहीं हो, तथा पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राएँ जिनके माता–पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1.00 लाख रूपये से अधिक नहीं हो,। इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अन्य कोई छात्रवृति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

2. आवेदन करने की प्रक्रिया :–

अहर्त्ता प्राप्त छात्र/छात्राओं को ऑनलाईन आवेदन करना है। इसके लिए वेबसाइट **ekalyan.cgg.gov.in** में दिये गये सभी दिशा निर्देशों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ऑनलाईन आवेदन करना है। ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् उसकी हार्डकॉपी (Printout) में विधिवत हस्ताक्षर कर एवं सभी वांछित प्रमाण–पत्रों की Colour Scanned Copy (jpeg/jpg में 150kb तक) वेबसाईट पर अपलोड करेगें :–

(i) ऑनलाईन आवेदन के पश्चात् आवेदन की हार्डकॉपी (Printout) पर छात्र/अभिभावक के हस्ताक्षर, सहित

(ii) आय प्रमाण–पत्र (Income Certificate) (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत) की मूल प्रति।

(iii) जाति प्रमाण–पत्र (Caste Certificate) (अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत) की मूल प्रति।

(iv) आवासीय प्रमाण–पत्र (Residential Certificate) (अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत) की मूल प्रति।

(v) संस्थान के लेटर हेड में संस्थान द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए निर्गत Bonafide Certificate (with Fee Structure) की मूल प्रति।

(vi) पूर्व की परीक्षा के अंकपत्र (Mark Sheet of previous exam) की अभिप्रमाणित प्रति।

(vii) छात्र के नाम पर बैंक खाता पासबुक की पृष्ठ, जिसमें Acccout No. एवं IFSC code उल्लिखित हो, की छायाप्रति।

3. ऑनलाईन आवेदन एवं महाविद्यालय/संस्थान से ऑनलाईन सत्यापन की समय सीमाः–

1	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि	30 सितम्बर 2015
2	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन की हार्डकॉपी (printout) में विधिवत हस्ताक्षर सहित सभी वांछित प्रमाण–पत्रों की Scanned Copy वेबसाईट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि	10 अक्टूबर 2015
3	महाविद्यालय/संस्थान द्वारा User Id एवं Password के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आवेदनों को ऑनलाईन सत्यापित करने की अंतिम तिथि	15 अक्टूबर 2015

4. महाविद्यालय/संस्थान प्रधान का दायित्व :-

(i) महाविद्यालय/संस्थान वेबसाइट **ekalyan.cgg.gov.in** में दिये गये सभी दिशा निर्देशों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए निर्धारित समयावधि में अपने पूर्ण विवरण के साथ मान्यता संबंधी प्रमाण-पत्र upload करेंगे।

नोट : राज्य के अन्दर स्थित संस्थानों की संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा User Id एवं Password उपलब्ध कराया जायेगा तथा राज्य के बाहर के संस्थानों को उनके Email Id पर User Id एवं Password उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य के अन्दर स्थित महाविद्यालय/संस्थान Course Maping करेंगे जो Post Matric (within the State) में Student Application Form पर Course दिखलाई देगा, तभी Student Online आवेदन कर सकते हैं। राज्य के बाहर स्थित महाविद्यालय/संस्थान को Course Maping करने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) छात्र/छात्रा के छात्रवृति हेतु संस्थान के लेटर हेड में वर्ष 2015-16 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का बोनाफॉयड सर्टिफिकेट (Bonafide Certificate with fee structure) शुल्क संरचना सहित, निर्गत संख्या एवं दिनांक के साथ निर्गत करेंगे।

(iii) संस्थान प्रधान अपने महाविद्यालय/संस्थान में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के द्वारा भरे गये ऑनलाईन आवेदन को User Id एवं Password के माध्यम से Online सत्यापित करेंगे।

5. छात्रवृति योजना के ई॰-कल्याण पोर्टल पर संस्थानों के नामांकन प्रकिया की समय सीमा:-

1	वैसे शिक्षण संस्थान जो पूर्व में ई॰-कल्याण पोर्टल पर नामांकित है तथा उन्हे यूजर आई॰डी॰ एवं पासवर्ड प्राप्त है, वे अपने यूजर आई॰डी॰ एवं पासवर्ड के माध्यम से संस्थान के अद्यतन मान्यता संबंधी कागजात, पाठ्यक्रम की मान्यता संबंधी कागजात एवं सरकारी /सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाणित शुल्क संरचना स्कैन कर (पी॰डी॰एफ॰ में 1 एम॰बी॰ तक) अपलोड करने की अंतिम तिथि-	31 अगस्त 2015
2	नये शिक्षण संस्थान (जो पूर्व में ई॰-कल्याण पोर्टल पर नामांकित नहीं है) को अपना नामांकन हेतु संस्थान के अद्यतन मान्यता संबंधी कागजात, पाठ्यक्रम की मान्यता संबंधी कागजात एवं सरकारी /सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाणित शुल्क संरचना स्कैन कर (पी॰डी॰एफ॰ में 1 एम॰बी॰ तक) ई॰-कल्याण के ई॰-मेल **pmuekalyan@gmail.com** पर उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि-	31 अगस्त 2015
3	ई॰-कल्याण द्वारा नये संस्थानों को यूजर आई॰डी॰ एवं पासवर्ड उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि-	15 सितम्बर 2015

6. हेल्प लाईन:-

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में यदि कोई कठिनाई हो तो ई॰-कल्याण के सम्पर्क संख्या (i) **04023120591** (ii) **04023120592** (iii) **04023120593** (iv) **7258010024** पर सम्पर्क कर सकते हैं, एवं e-mail id - **helpdeskekalyan@gmail.com** पर e-mail कर सकते हैं।

7. नोट :-

- उपबन्धित बजट राशि की सीमा के अन्तर्गत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति की स्वीकृति हो सकेगी।
- निश्चित समय सीमा की समाप्ति के पश्चात किसी प्रकार का आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
- छात्र/छात्रा को अपना बैंक खाता संख्या एवं आधार संख्या देना होगा।
- एक से अधिक आवेदन पत्र भरने पर छात्र/छात्रा का आवेदन पत्र रदद् कर दिया जायेगा।
- आवेदन पत्र में त्रुटि/अशुद्धि/ओवर राइटिंग करने पर आवेदन रदद् कर दिया जायेगा।

13.8.15

आदिवासी कल्याण आयुक्त।